परिचय

गंगा नदी का भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में 2500 किमी से अधिक के मार्ग से होकर बहती है। गंगा बेसिन (जो नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में भी फैली है) भारत की कुल भूमि का लगभग 26 प्रतिशत जल संसाधनों का 30 प्रतिशत और इसकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसका एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है जो बेसिन की सीमा से बढ़ कर है।

भारत सरकार ने नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) स्थापित किया है। यह कार्यक्रम एक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाता है और पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पहलुओं पर बहु क्षेत्रीय चर्चा करने का अध्यादेश देताहै। NGRBA वर्ष 2121 तक नगर निगम के अनुपचारित सीवेज या औद्योगिक प्रवाह से गंगा नदी को मुक्त करने के लिये कृतसंकल्प है।परियोजना में नदी पर मुख्य स्थानों में प्रदूषण भार को कम करने के लिए ठोस बुनियादी ढांचे में निवेश के वित्तपोषण शामिल हैं। निवेश, अन्य विशेषताओं के बीच, तकनीकी तैयारी और क्रियान्वयन, संचालन की स्थिरता, और NGRBA ढांचे में परिकल्पित सार्वजनिक भागीदारी के उच्च मानकों का उदाहरण देने का इरादा कर रहे हैं। ये निवेश नई और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों या कार्यान्वयन की व्यवस्था के लिए अभिनव प्रयास है। अधिकांश पूंजी निवेश अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और सीवरेज नेटवर्क में, अपशिष्ट जल क्षेत्र में होने की उम्मीद है। निवेश औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम (जैसे सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जैसे संग्रह, परिवहन और निपटान प्रणाली), और नदी तट प्रबंधन (नदी के साथ फैले छोटे पर्यावरण स्थलों के सुधार, घाटों और बिजली शवदाहगृह का निर्माण और पारिस्थितिकी संवेदनशील स्थलों के संरक्षण) में किया जाएगा।

इन नदी तटीय विकास योजनाओं में नदी तट के सौंदर्यीकरण, नदियों के साथ स्नान घाट का निर्माण, झीलों और जल निकायों के सुधार, श्मशान भूमि के पुनर्विकास शामिल है। इन कार्यों को एक निवेश के तहत शामिल किया जाएगा।

नदी तटीय विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित हैंः–

(क) निवेश के लिए भूमि की आवश्यकता

(ख) भूस्वामी एवं अभूस्वामी का विस्थापन,

(ग) पहुँच मार्ग की हानि, और

(घ) सामुदायिक संरचना अथवा संरचना स्थल के पहुँच मार्ग की हानि

1.1 प्रस्तावित पटना नदी तटीय विकास परियोजना के अंगः

प्रस्तावित पटना नदी तटीय विकास परियोजना के निम्नलिखित अंग हैंः –

क. 21 घाटों का विकास (अंटाघाट से नौजरघाट, चेंज रुम के साथ)

ख. विहार स्थान (घाटों को एक साथ जोडकर)

ग. समुदायिक सह सांस्कृतिक केन्द्र

घ. सीमा क्षेत्र पर भूदृश्य का निर्माण

ङ शहरी स्तर पार्क

च. परिसर के लिए पहुंच मार्ग का सुधार

क. 21 घाटों का विकासः

एक सार्वजनिक स्थान के रूप में 21 घाटोंका विकसित किया जाना इस परियोजना के तहत प्रस्तावित हैं। घाट का संभावित आंकड़ा तालिका 1.1 में दिखाया गया है–

तालिका 1.1: परियोजना क्षेत्र के घाट

घाटों का नाम	
अन्टा घाट	मिश्री घाट
अदालत घाट	कृष्णा घाट
टी एन बनर्जी घाट	रानी घाट
बहरवा घाट	घघा घाट
गुलवी घाट	चौधरीटोला घाट
रौशन घाट	आलमगंज घाट
पथरी घाट	हनुमान घाट
लौहरवा घाट	गाय घाट
राजा घाट	महावीर घाट
भद्र घाट	नौजर घाट
बी एन कॉलेज घाट	

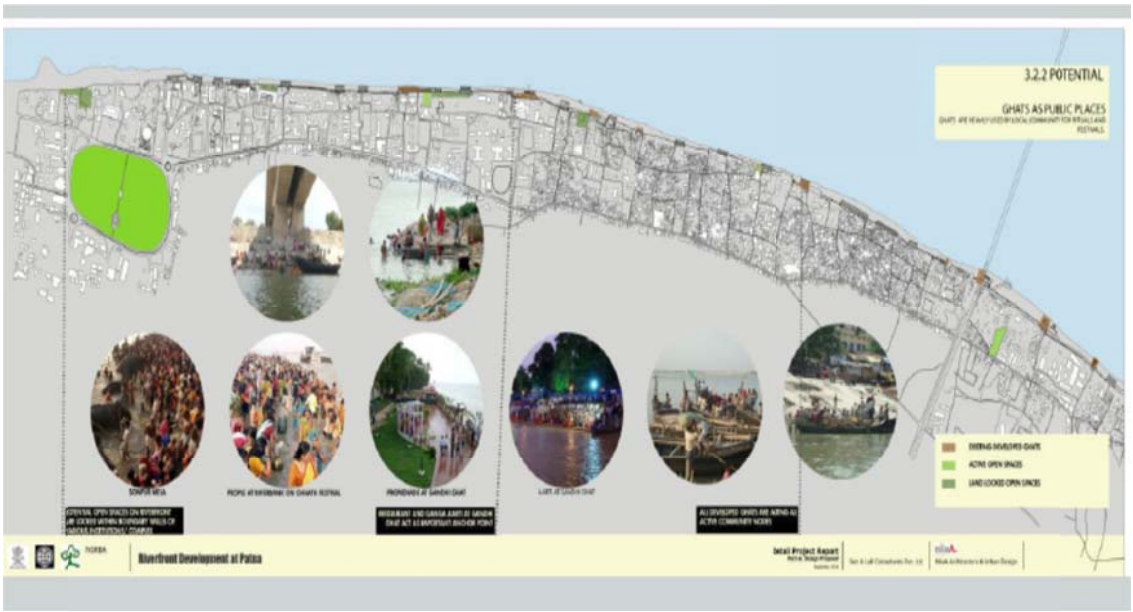

समाजिक स्थल के रुप में संभावित घाट

ख. विहार स्थान (घाटों को एक साथ जोडकर)

विहार स्थान (सैर करने की जगह) का प्रस्तावित विकास नीचे दी गई तालिका 1.2 में दिखाए जाते हैं–

तालिका 1.2:विहार स्थान का प्रस्तावित विकास

उपक्षेत्र का नाम	संबंधित घाट			
उपक्षेत्र –I	कलक्टरेट घाट	अन्टा घाट	बी एन कॉलेज घाट	महेन्द्रू घाट, अदालत घाट तक
उपक्षेत्र –II	अदालत घाट से गाँधी घाट			
उपक्षेत्र –III	गाँधी घाट से रानी घाट			
उपक्षेत्र –IV	भद्र घाट	महावीर घाट	नौजर घाट	

ग. समुदायिक सह सांस्कृतिक केन्द्रः

तीन समुदाय सह संस्कृति केंद्रों का विकास प्रस्तावित हैः

- कलेक्ट्रेट घाट में सामुदायिक सह पारिस्थितिकी केंद्र
- भद्र घाट में सामुदायिक सह सांस्कृतिक केंद्र
- गाय घाट में डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र
- गांधी घाट पर श्रव्य दृश्य थिएटर

घ. सीमाक्षेत्र पर भूदृश्य (लैंडस्केप) का निर्माण

भूदृश्य (लैंडस्केप) का काम चार (4) सीमा क्षेत्रों मेंप्रस्तावित है जो नीचे दिए गई तालिका 1.3 में दिखाया गया है–

तालिका 1.3:भूदृश्य (लैंडस्केप) का प्रस्तावित उपक्षेत्र

उपक्षेत्र का नाम	लैंडस्केप कार्य	लैंडस्केप कार्य	लैंडस्केप कार्य
उपक्षेत्र –I	कलक्टरेट घाट से अन्टा घाट	अन्टा घाट से बी एन कॉलेज घाट	बी एन कॉलेज घाट से महेन्द्रू घाट,
उपक्षेत्र –II	मिश्री घाट से टी एन बनर्जी घाट	टी एन बनर्जी घाट से काली घाट	

उपक्षेत्र –III	गाँधी घाट से बहरवा घाट	बहरवा घाट से लॉ कॉलेज घाट	रानी घाट से गुलवी घाट
उपक्षेत्र –IV	गाय घाट से नौजर घाट		

ङ शहरी स्तर पार्कः

कलेक्ट्रेट घाट और गाय घाट पर दो शहरी स्तर पार्क प्रस्तावित हैं। इसका निर्माण उपलब्ध सरकारी भूमि पर किया जाएगा।

च. परिसर के लिए पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) का सुधारः

निम्नलिखित पहुँच मार्ग सड़कों में सुधार प्रस्तावित है–

उपक्षेत्र –I के लिए अप्रोच रोड

उपक्षेत्र –II के लिए अप्रोच रोड

उपक्षेत्र –III के लिए अप्रोच रोड

उपक्षेत्र –IV के लिए अप्रोच रोड

कृष्णा घाट के लिए पहुंच मार्ग

चौधरी टोला घाट के लिए पहुंच मार्ग

पथरी घाट के लिए पहुंच मार्ग

गाय घाट के लिए पहुंच मार्ग

राजा घाट लिए पहुंच मार्ग

प्रारंभिक परियोजना स्थल भ्रमण जो 20/08/2013से 26/08/2013 तक हुआ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजना सड़क क्षेत्रों का दौरा विश्व बैंक, ESMF, और NGRBA के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमुख पर्यावरण और सामाजिक कारकों की पहचान हेतु किया गया। भ्रमण के दौरान जिन मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया वह थेः–

- भूमि की उपलब्धता/आवश्यकता
- संरचनाओं की हानि
- आजीविका की हानि
- आम संपत्ति संसाधनों पर प्रभावआदि

सामाजिक अनुवीक्षण के परिणाम तालिका 1.4 में दिए गए हैः

तालिका 1.4 : सामाजिक अनुवीक्षण के परिणाम

सामाजिक कारक	परिणाम
भूमि की हानि	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी निजी जमीन के अधिग्रहण की आवश्यकता नही होगी। केवल सरकारी जमीन की आवश्यकता पार्क एवं सार्वजनिक स्थल के निर्माण के लिए होगी।
भूमि की उपलब्धता/आवश्यकता	प्रस्तावित परियोजना में केवल कुछ पार्क को छोड़कर जो सरकारी जमीन पर विकसित होगा भूमि की कोई आवश्यकता नही पड़ेगी। निजी जमीन का अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नही पडेगी।
संरचनाओं की हानि	कुल 229 परिवार विस्थापित होंगे जिसमें कोई भी भूस्वामी नही है। छः स्थानों पर उपवेशी विस्थापितों का समूह है जो विस्थापित होंगे।
आजीविकाकी हानि	इस परियोजना के कारण किसी भी प्रकार के जीविकोपार्जन की हानि नही होगी। बल्कि यह आजीविका के नये अवसर प्रदान करेगा। तथापि परियोजना में गरीबी रेखा से नीचे के प्रभावित परिवारों के आजीविका के उन्नति के लिए प्रावधान है।यह आजीविका पुनरुद्धार उपाय विस्थापित परिवार के आय में वृद्धि में सहायक होंगे।

दूसरी ओर परियोजना से दैनिक आधार पर गंगा नदी पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा।

1.2 सामाजिक प्रभाव आंकलन की आवश्यकता

विकास संबंधी उपायों की शुरुआत करने और लागू करने से होनेवाले निजी संपत्ति के नुकसान, आय के नुकसान और विस्थापन के कारण परियोजना के डिजाइन में सामाजिक प्रभाव आकलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभावित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से संबंधित मुद्दों की समझ एक उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक विकास की चिंताओं को परियोजना के डिजाइन में उत्तरदायी बनाने के लिए एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) किया गया। सामाजिक प्रभाव आंकलन ने गरीब और कमजोर लोगों कि चिंताओं, जोखिम और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा परियोजना के लाभ को बढ़ाने में मदद की। इस तरह के निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्य सामाजिक मुद्दों पर जोर देना जैसे निर्माण कार्य मे बड़ी संख्या में श्रमिकों का आना आदि, एक व्यवस्थित मूल्यांकन सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के पुर्नवास योजना को लागू करने के दौरान प्रभावित लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पर न पड़े और प्रभावित लोगों को परियोजना निर्माण के बाद बदतर स्थिती में न छोड़ दिया जाय। परियोजना निर्माण और परियोजना क्रियान्वयन के दौरान प्रभावित लोगों को परियोजना का लाभ मिले।

विशेष रूप से, अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1) परियोजना से संबंधित परियोजना हितधारकों और सामाजिक मुद्दों की पहचान करने के लिए एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थागत विश्लेषण करना।

2) संपत्ति नुकसान की सीमा का आंकलन और संभावित परियोजना प्रभावित लोगों की गणना का कार्य करना।

3) प्रभावित लोगों और परियोजना के अधिकारियों की सम्मति से एक पुनर्वास योजना को तैयार करना।

4) बाहरी श्रमिको और अन्य लोगों के आगमन से उत्पन्न एचआईवी एड्स की संभावना की पहचान करने के लिए और उनके घटनाओं को कम करने के लिए एक रणनीति विकसित करना

5) सहभागिता पूर्ण नियोजन और प्रस्तावित पुर्नवास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक परामर्श ढांचा विकसित करना।

1.4 अध्ययन के क्षेत्र

अध्ययन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों सहित सामाजिक मुद्दों और हितधारकों की पहचान के साथ शुरू हुआ। अघ्ययन का केन्द्र बिन्दु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परियोजना प्रभावित परिवार की पहचान और उनकी गणना सर्वेक्षण था। विशेष रूप से अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं–

1) प्रस्तावित परियोजना से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दों की पहचान एवं परियोजना के सामाजिक विकास के परिणामों को साफ तौर पर सामने रखना।

2) निर्माण चरण और परिचालन दोनों के दौरान संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन।

3) प्रभावित परिवार और अन्य सामाजिक मुद्दों से संबंधित पुनर्वास और परियोजना नीतियों, अधिनियम एवं अन्य प्रावधानों की समीक्षा

4) विभिन्न परियोजना घटकों एवं भूमि अधिग्रहण (मकान, आजीविका आदि के नुकसान) अनैच्छिक पुनर्वास के फलरूवरूप संभावित प्रभाव (प्रभाव के परिमान एवं भामन के संभावित लागत के अनुसार) की सामाजिक संविक्षा और समुचित राहत योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।

5) परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में सामाजिक विकास के मुद्दों की जाँच और सामाजिक कार्यों का ऐसा प्रारूप तैयार करना जो परियोजना द्वारा जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हेतु उपलब्ध कराई जा सके और परियोजना के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो।

6) परियोजना प्रभावित क्षेत्र के जनसंख्या और सेवाओं के उपलब्ध बुनियादी ढाँचे की रूपरेखा का नवीनीकरण करना।

7) संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के आकलन के आधार परएक मापदंड तैयार करना जो कि स्थानीय आबादी के लिए संभावित अधिकतम परियोजना लाभ के लिए एवं प्रभावित समुदायों पर परियोजना उपायों के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायक हो।

8) परियोजना प्रारूप, उद्देश्य एवं कार्यान्वयन से संबंधित पूर्व सूचना, परियोजना हितधारकों के साथ संवाद एवं परामर्श एवं उच्च सामाजिक जोखिमों को कम करने/बचने के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करना।

9) परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में सामाजिक विकास के मुद्दों की जाँच और तदनुसार सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करना जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये परियोजना द्वारा प्रदान किया जा सकता है ।

10) समुदायिक संपत्ति (जैसे स्कूल, सामुदायिक संपत्ति), धार्मिक संरचनाओं एवं आम संपत्ति संसाधनों (वन, चराई भूमि) के संभावित हानि की पहचान।

11) बाहरी श्रमिको और अन्य लोगों के आगमन (निर्माण चरण और परिचालन दोनों के दौरान) से उत्पन्न एचआईवी एड्स की एवं अन्य रोगों की संभावना का आकलन और उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति विकसित करना।

12) सामाजिक विकास के पहलुओं को लागू करने के लिए योग्य संस्थानों, क्रिया विधि के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं क्षमता निर्माण के उपायों का आंकलन।

13) सामाजिक विकास के परिणामों का आकलन करने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करना

2. परियोजना स्तरीय कानूनी संरचना

2.1 पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन संरचना/ फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) ने एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) को अपनाया और विश्व बैंक के फंड से जुड़े अपने निवेश परियोजनाओं के लागू करने के लिए विश्व बैंक के साथ सहमत हो गया है ।यह फ्रेमवर्क उप परियोजनाओं द्वारा प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने और कम करने में अपनाई जाने वाली नीति, सिद्धांतों, और दृष्टिकोण का वर्णन करता है। सामाजिक प्रबंधन संरचना को चार भागों अर्थात है, (i) पुनर्वास नीति और भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा, (ii) मूलवासी प्रबंधन फ्रेमवर्क (IPMF), (iii) लिंग आकलन और विकास संरचना (GAD), और (iv) परामर्श संरचना।

ESMF दस्तावेज NGRBP के विभिन्न उप परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण और संचालन के दौरान उचित उपायों के माध्यम से सामाजिक और पर्यावरण के प्रभावों के प्रबंधन में मदद करने का अभीश्ट है। यह संरचना, NGRBP के उप परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के लिए यथोचित परिश्रम के संरक्षण के स्तर की पहचान करता है और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन की नीतियों और प्रक्रियाओं पर कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2.2 पुनर्वास नीति और भूमि अधिग्रहण फ्रेमवक

यह पुनर्वास नीति परियोजना प्रभावित परिवार के पुनर्वास के सीमित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार कर रहे है। यह नीति राष्ट्रीय पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति, 2007 और विश्व बैंक के Ops 4.12 अनैच्छिक पुनर्वास और **4.10** मूल निवासी के आधार पर विकसित किया गया है।

NGRBP की 'सामाजिक नीति' का उद्देश्य प्रभावित लोगों को पुर्नस्थापना और पुनर्वास के लिये उन नियमों का पालन करना है कि उप परियोजनाओं के कारण उनके जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े बल्कि स्तर में सुधार हो या फिर कम से कम जीने के अपने पिछले मानक स्तर, उर्पाजन उवं उत्पादन क्षमता को बनाये रखे। NGRBP का यह भी प्रयत्न होगा कि पुनर्वास, निर्भरता को कम करे और सामाजिक आर्थिक और संस्थागत स्थायित्व हो। विशेष ध्यान अधिकार हीन एवं विपन्न वर्ग के जीवन स्तर में सुधार पर दिया जाएगा।

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुर्नस्थापन और पुनर्वास लाभ

पुर्नस्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) लाभ का विस्तार सभी परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिये है चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हों या गैर बीपीएल हों। विवरण पात्रता सारणी में प्रदान की जाती हैं। आदिवासी के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा :

- अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी ।
- जनजातीय परियोजना प्रभावित परिवार कोउनके प्राकृतिक निवास स्थान के निकट ही भवन समूह में बसाया जाएगा जिससे वह अपने भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख कर सकते है।
- मूल आदिवासियों की जमीन के विमुख विषयों पर कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन अमान्य होगा और पुर्नस्थापन और पुनर्वास लाभ केवल मूल आदिवासी भूस्वामी के लिए उपलब्ध होगा।

3. परियोजना प्रभाव

3.1 प्रभाव की पहचान

परियोजना के प्रभावों की पहचान कई प्रयोगों के साथ, परियोजना के आरम्भिक अवस्था में सामाजिक अनुविक्षण, विस्तृत परिवार सर्वेक्षण, सार्वजनिक परामर्श और परियोजना क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव आकलन के हिस्से के रूप में की गई। प्रस्तावित परियोजना के कारण

विभिन्न सकारात्मक परियोजना प्रभावों के अलावा, संरचनाओं एवं आवास के नुकसान जैसे परियोजना के कारण कुछ प्रतिकूल प्रभाव के उदाहरण भी मिलते हैं । विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना आवश्यकता के आधार पर, सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण 20/08/2013 से 26/08/2013 के बीच किया गया जिसका सारांश निष्कर्ष आगामी वर्गों में वर्णित है।

3.1.1 परियोजना प्रभाव का सारांश

प्रस्तावित परियोजना में 162,500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि की आवश्यकता होगी। BUIDCO पहले ही भूमि प्रयोग के अनापत्ति प्रमाण पत्र ले चुका है।

जब तक परियोजना में किसी भी निजी भूमि के अधिग्रहण नही होगा भूस्वामी (titleholders) पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार 229 आवासीय संरचनाओं जो केवल अ–भूस्वामियों के हैं, परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है। परियोजना के प्रभाव मुख्य रूप से घाट विकास घटक के कारण पड़ेंगे। 229 प्रभावित परिवारों में से 194 घाट विकास के कारण प्रभावित होंगे और बाकी 35 परिवार एप्रोच रोड को चौड़ा करने की वजह से प्रभावित होंगे। परियोजना के प्रभावों का सारांश तालिका में प्रदान की जाती हैं :

तालिका 3.1 परियोजना प्रभाव का सारांश

क्र. सं.	परियोजना के घटक	प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित व्यक्तियो की संख्या
1	घाट के विकास	194	943
2	विहार स्थान का निर्माण	0	0
3	सामुदायिक सह सांस्कृतिक केन्द्रों	0	0
4	सीमाक्षेत्र पर भूदृश्य (लैंडस्केप) का निर्माण	0	0
5	शहरी स्तर पार्क	0	0
6	पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण*	35	163
	कुल		

*केवल महेन्द्रू घाट पर

3.1.2 परियोजना के प्रभाव क्षेत्र

लगभग 6.6 किलोमीटर की दूरी तक परियोजना विस्तृत है किन्तु परिवारों का विस्थापन तालिका में प्रस्तुत सात घाट स्थानों तक ही सीमित है:

तालिका 3.2 परियोजना के प्रभाव क्षेत्र

क्र. सं.	घाट का नाम	प्रभावित व्यक्तियो की संख्या
1	मिश्री घाट	55
2	महेन्द्रूघाट	35
3	टी एन बनर्जी घाट	40
4	अदालत घाट	7
5	बरहरवा घाट	32
6	गोसाईं घाट	19
7	राजा घाट	41
	कुल	**229**

3.1.3 विपन्न परिवारों पर प्रभाव

इस परियोजना के कारण 164 विपन्न परिवार प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हे और आर्थिक और सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विपन्नता की स्थिति का विवरण तालिका 3.3 में उल्लिखित हैं :

तालिका 3.3 प्रभावित व्यक्तियो की विपन्नता की स्थिति

क्र. सं.	विपन्नता के प्रकार	सख्या (बिना दोहरी गिनती के)
1	स्त्री स्वामित्व वाला परिवार	24
2	अनुसूचित जाति	73
3	बीपीएल	67
	कुल	**164**

3.1.4 प्रभावित संरचना के प्रकार

परियोजना प्रभावित सभी संरचना आवासीय हैं। सर्वेक्षण के दौरान की गिनती से यह निश्कर्श निकलता है कि इन प्रभावित संरचनाओं के निर्माण के प्रकार के अनुसार 229 संरचनाओं में 84.72% संरचना अर्द्ध स्थायी हैं और बाकी 15.28 % अस्थायी प्रकृति के हैं। संरचना की प्रकृति इस्तेमाल सामग्री के प्रकार पर आधारित है। स्थायी दीवारों लेकिन अस्थायी छत के साथ की संरचना को अर्द्ध स्थायी संरचना के रूप में माना गया है। संरचनाओं के प्रकार का विवरण तालिका 3.4 में दिया जाता हैः

तालिका 3.4 प्रभावित संरचना के प्रकार

क्र. सं.	संरचना के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	अर्द्ध स्थायी	194	84.72
2	अस्थाई	35	15.28
	कुल	**229**	**100**

3.2 परियोजना प्रभावित जिले की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा

बिहार के कुल क्षेत्र 96,163 किमी^{2} में से पटना जिला 3202 वर्ग किमी क्षेत्र पर अवस्थित है। बिहार की कुल शहरी आबादी 1,17,58,016 है जिसमें पुरुषों की आबादी 62,04,307 है और महिलाओं कीं 55, 53,709 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या में से 43.07 प्रतिशत जिले के शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पटना बाहरी क्षेत्र की कुल आबादी 25,14,590 है जिसमें से नगर पालिका सीमा के भीतर 16,83,200 लोग बसे है। पटना में कुल पुरुष आबादी 13, 32,487 है जो कुल शहरी आबादी का लगभग 53 % है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले में लिंग अनुपात 887 है जबकि बच्चे के लिंग अनुपात 883 है। शहरी क्षेत्र में बाल आबादी (0–6) 3,29,592 है जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 1,75,005 और 1,54,587 है। पटना जिले की बाल आबादी कुल शहरी आबादी का 13.11% है ।

तालिका 3.5 जनसांख्यिकीय मानक

मानक	बिहार बाहरी क्षेत्र		पटना बाहरी क्षेत्र	
	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री
जनसंख्या	6204307	5553709	1332487	1182103
लिंग अनुपात	895		887	
साक्षरता	82.56 %	61.95%	85.75 %	75%
जनसंख्या घनत्व	1102		1808	

बिहार में औसत साक्षरता दर 76.86% है जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः82.56% और 61.95% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले में औसत साक्षरता दर 82.40% है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दरक्रमशः 87.71 % और 81.33%है। शहरी क्षेत्र में साक्षरों की वास्तविक संख्या 1,810,338 जिसमें पुरुषों की संख्या 1,008,475 और महिलाओं की 801,863 है।

2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने देश के सबसे पिछड़े जिलों में से पटना का 250 वा स्थान (640 के कुल में से) दिया है। यह बिहार के 36 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (BRGF) से धन प्राप्त करता है। बिहार के कृषि उत्पादों में धान, मक्का, दलहन, गेहूं और तिलहन शामिल हैं। लगभग एक तिहाई बुवाई क्षेत्र में चावल (धान) की खेती होती है। नकदी फसलों में सब्जियों और तरबूज की खेती भी दियारा बेल्ट में होती है। प्रमुख उद्योगों में चमड़ा, हस्तशिल्प, और कृषि प्रसंस्करण शामिल हैं।

यद्यपि मानव विकास संकेतक अर्थात साक्षरता, लिंग अनुपात आदि क्षेत्र में पिछले एक दशक में सुधार हुआ है किन्तु आय और गरीबी के स्तर में बहुत कुछ नहीं बदला है जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधन निम्नीकरण और प्राकृतिक आपदा है।

3.3 परियोजना से प्रभावित लोगों की सामाजिक – आर्थिक रूपरेखा

परियोजना प्रभावित संभावित परिवारों की सामाजिक – आर्थिक रूपरेखा अगस्त 2013 में आयोजित प्राथमिक सर्वेक्षण जनित आँकड़ो के आधार पर तैयार किया गया है। यह जानकारी सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा गृहस्वामी या घर के किसी अन्य वयस्क सदस्य से एकत्र की गई थी।

सर्वेक्षण के नतीजे के परिणामस्वरूप परियोजना प्रभावित परिवारो की सामाजिक – आर्थिक स्थिति,उनकी प्राथमिकताओं, उम्मीदों और आशंकाओं की पूरी पहचान हुई। जनगणना सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करना और प्रभावों के परिमाण का मूल्यांकन करना था। सर्वेक्षण स्थानीय स्तर पर नियुक्त सर्वेक्षक की एक टीम द्वारा आयोजित किया गया।

3.3.1 परियोजना प्रभावित परिवार और सदस्य

प्रस्तावित घाट विकास से नदी तट के पास के कुल 229 परिवारों जिसमें 1103 परियोजना प्रभावित व्यक्ति शामिल है, प्रभावित होगे। प्रभावित व्यक्तियों के लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 841 महिलाओं का है जो जिला स्तरीय आँकड़े की तुलना में कम है। पुरूषों की जनसंख्या का प्रतिशत 54.31 और महिलाओं का 45.69 है। परियोजना प्रभावित परिवारों की परिवार का औसत आकार 4.8 है। सामाजिक– आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार 100 % परियोजना प्रभावित परिवार हिंदू धर्म से हैं।

3.3.2 प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी के अनुसार जैसा कि तालिका 3.6 में भी वर्णित है, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कुल परियोजना प्रभावित परिवारों की सबसे बड़ी (54.14%) जाति समूह है। इसके बाद 42.79 % संख्या अनुसूचित जातियों की है।

तालिका 3.6 – प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

प्रभावित परिवार का विवरण	सामाजिक स्तरीकरण	औसत (%)
अनुसूचित जाति	**98**	**42.79**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**124**	**54.14**
सामान्य	**3**	**0.01**
	229	**100.00**

3.3.3 साक्षरता का स्तर

सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार परियोजना से प्रभावित लोगों में से आधे से अधिक अनपढ़ हैं। कुल प्रभावित जनसंख्या में से लगभग एक चौथाई ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया है। 4% से कम ने उच्च विद्यालय स्तर तक शिक्षा हासिल किया है। प्रभावित व्यक्तियों के साक्षरता का स्तर तालिका 3.7 में प्रस्तुत हैं :

तालिका 3.7 प्रभावित व्यक्तियों के साक्षरता का स्तर

क्र. सं.	साक्षरता का स्तर	वयस्क	बच्चे	कुल	प्रतिशत (%)
1	निरक्षर	532	41	573	51.95
2	प्राथमिक विद्यालय	42	221	263	23.84
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	18	204	222	20.13
4	हाई स्कूल	43	0	43	3.90
5	ग्रेजुएट	2	0	2	0.18
		637	466	1103	100.00

3.3.4 परियोजना प्रभावित की वैवाहिक स्थिति

वयस्क आबादी के सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 397(62.32%) व्यक्ति विवाहित हैं जबकि 213 (33.44%) व्यक्ति अविवाहित हैं और 4.24% विधवा हैं। परियोजना प्रभावितों की वैवाहिक स्थिति को तालिका 3.8 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.8 परियोजना प्रभावितों की वैवाहिक स्थिति

क्र. सं.	वैवाहिक स्थिति	व्यस्क पुरूष	व्यस्क महिला	कुल	प्रतिशत (%)
1	विवाहित	196	201	397	62.32
2	अविवाहित	131	82	213	33.44
3	विधवा	3	24	27	4.24
		330	307	637	100.00

3.3.5 परिवार के मुखिया की आजीविका की स्थिति

72.05 **%** परिवार के मुखिया नियमित मजदूरी कर रहे हैं एवं 10.9 **%** सुअर पालन और डेयरी में लगे हुए हैं। नौकरी में 4.8**%** लगे हुए है। परिवारों के मुखिया के रोजगार की स्थिति तालिका 3.9 में दी गई है। यहा यह देखा जा सकता है कि बहुमत (95**%**) ठेका श्रमिकों, वेन्डर, रिक्शा चालन आदि में लगे हुए हैं।

तालिका 3.9 परिवार के मुखिया की आजीविका की स्थिति

क्र. सं.	आजीविका	परिवार के मुखिया की संख्या	प्रतिशत (%)
1	**नाविक**	5	2.18
2	मवेशी पालन	25	10.91
3	ड्राइवर	1	0.44
4	मछली विक्रेता	2	0.88
5	रिक्शा चालक	1	0.44
6	सर्विस	11	4.80
7	स्वीपर	17	7.42
8	वेन्डर	2	0.88
9	दैनिक मजदूरी	165	72.05
	कुल	229	100

3.3.6 परिवार के आय का स्तर

परिवारों की सामाजिक– आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आय के स्तर काफी कम है। 22 **%** कुछ ज्यादा परियोजना प्रभावित रू 3000/ प्रति माह से कम कमाते है। **62.45%** परिवार की आय प्रति माह 3000 से 5000 तक है। केवल 3**% परिवार** 10000/–से अधिक रुपये प्रतिमाह कमाते हैं। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति परिवार एक अर्जन व्यक्ति है।

तालिका 3.10 आय का स्तर

क्र. सं.	आय का स्तर	संख्या	प्रतिशत (%)
1	3000 तक	51	22.27
2	3000 से 5000	143	62.45
3	5000 से 8000	17	7.42
4	8000 से 10000	11	4.80
5	10000 से ऊपर	7	3.06
	कुल	229	100

3.3.7 परिवारों की उपभोक्ता वस्तुओं का विवरण

परिवारों में उपस्थित उपभोक्तावस्तुओं का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है। पंखा, मोबाइल फोन और टेलीविजन सबसे ज्यादा परिवारों के पास मौजूद है।

तालिका 3.11 घरेलु उपभोक्ता वस्तु का विवरण

क्र. सं.	वस्तु	संख्या	प्रतिशत (%)
1	इलेक्ट्रिक पंखा	79	34.50
2	मोबाइल फोन	37	16.16
3	टेलीविजन	27	11.79
4	साईकिल	2	0.87
5	रिक्शा	1	0.44
6	ठेला	2	0.87
7	नाव	5	2.18

3.3.8 पशुधन स्वामित्व

सर्वेक्षण के दौरान पशुधन के आंकड़े एकत्र किए गए थे। रिर्पोट के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के स्वामित्व में सभी प्रकार के पशु है। अधिकांश निवासियों के पास पशुधन है। पशुधन स्वामित्व कीस्थिति तालिका 3.12 में दिखाया गया है

तालिका 3.12 पशुधन

क्र. सं.	वस्तु	संख्या	प्रतिशत (%)
1	गाय	17	30.91
2	भैंस	24	43.64
3	बकरी	5	9.09
4	सुअर	9	16.36
कुल		55	100

4. सार्वजनिक परामर्श

प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य एवं परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता को घ्यान में रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों प्रभावित लोगों, महिला प्रधान परिवार सहित विपन्न वर्ग, झुग्गी वासियों, नियमित घाट आगंतुकों, सब्जी एवं अन्य विक्रेता, नाविक, पर्यटक और परियोजना क्षेत्र के छात्रों के साथ परामर्श किया गया। विपन्न वर्ग के साथ परामर्श उन्हे जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे उनपर पड़ने वाले परियोजना के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। आवश्यक जानकारी पाने के लिए विभिन्न स्तर (तालिका 4.1) पर विचार सभा आयोजित किए गए।

तालिका 4.1 परामर्श का स्तर

प्रमुख हितधारक	विचार विमर्श के प्रकार
स्थानीय समुदाय	व्यक्तिगत साक्षात्कार, क्षेत्र स्तर आंकलन, समुदायिक विमर्श और बैठक
व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों	जनगणना और सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण
पर्यटक और छात्र	सामूहिक चर्चा
अन्य विपन्न वर्ग (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि)	सामूहिक चर्चा
मछुआरा एवं नाविक	सामूहिक चर्चा
सब्जी विक्रेता	सामूहिक चर्चा
झुग्गी वासी	सामूहिक चर्चा

इन विमर्श के मुख्य उद्देश्य थे :

- परियोजना के प्रभावों और पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के व्यापक प्रावधानों के बारे में प्रभावित व्यक्तियों को जागरूक करना।
- प्रभावित व्यक्तियों के बीच जागरूकता का निर्माण और परियोजना के उद्देश्य के बारे में उन्हें सूचित करना।
- उनके कौशल एवं आजीविका को बहाल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा।

तालिका 4.2 परामर्श सत्र का विवरण

तिथि	स्थान	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या	पुरूश	स्त्री
20 अगस्त 2013	टी. एन. बनर्जी घाट	27	24	3
21 अगस्त 2013	मिश्री घाट	23	17	6
22 अगस्त 2013	महेन्द्रू घाट	11	9	2
23 अगस्त 2013	बरहरवा घाट एवं अदालत घाट	15	12	3
26 अगस्त 2013	राजा घाट एवं गोसाईं घाट	12	9	3

4.1 हितधारकों के साथ संरचित परामर्श

परियोजना कॉरीडोर के दोनों को प्राथमिक और माध्यमिक हित धारकों के साथ परामर्श किए गए। हितधारकों के साथ परामर्श में शामिल हैं: (i) घाट के किनारे के निवासी (ii) सड़क किनारे के दुकान मालिकों/वेन्डर, (iii) घाट उपयोगकर्ताओं , और (iv) परियोजना अधिकारी शामिल हैं। विचार विमर्श के लिए लक्षित समूहों निर्धारण करने में प्रत्येक समुदायों के इकाई एवं घाट उपयोग कर्ताओं का प्रतिनिधित्व रहे इसका घ्यान रखा गया। इन विमर्श द्वारा सामाजिक मुद्दों पर और समुदायों की आवश्कताओं की पहचान हो पाई।

- विस्थापित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास;
- इस परियोजना के कारण आजीविका के नुकसान पर सहायता राशि;
- पुर्नस्थापना में सहायता खासकर अनुसूचित जाति समुदाय जिनमें बहुमत स्वीपरों का है और जिन्हे भाहर में नही पसंद किया जाता। अगर वे विस्थापित हो रहे हैं तो उन्हें सरकार द्वारा वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना होगा; .
- समुदाय से भी परियोजना के प्रभाव का पता करने के लिए अनुरोध किया जाय;

4.2.1 अनुसूचित जाति समुदाय के साथ परामर्श

कई अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों ने विचार विमर्श में भाग लिया। अनुसूचित जाति समुदाय से विशेष रूपसे विचार विमर्श उनकी चिंताओं को समझने और उसे पुर्नवास योजना में संकलित करने के लिए किया गया। घाट के समीप के अनुसूचित जाति के परिवार किसी एक निर्दिष्ट क्षेत्र/गाँव में नहीं रहते। अतः घाट स्तर पर विचार विमर्श हुआ और सुनिश्चित किया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय से प्रतिनिधि शामिल हो जो उनकी चिंताओं और मुद्दों को आवाज दे सके। उनमें से अधिकांश स्वीपर समुदाय के थे उन्होनें विस्थापित होने के मामले में एक वैकल्पिक घर की जरूरत पर बल दिया क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति किराए पर एक घर लेने की नही थी।

अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य लोगों के साथ सामुदायिक परामर्श के साथ अन्य हितधारकों के लिए विशेष कार्य एवं जवाबदारी की पहचान की गई जिससे वह सुनिश्चित कर सकते हैं : (क) परियोजना की योजना और तैयारी में अनुसूचित जाति की भागीदारी एवं (ख) पुर्नवास कार्य योजना और इसके कार्यान्वयन के भीतर उनकी विशिष्ट चिंताओं को शामिल किए जाने हैं।

नीचे दी गई तालिका अनुसूचित जाति के लोगों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रस्तुत करता है.

तालिका4.3 विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

हितधारक	जनजातीय क्षेत्रों में हितधारकों की भूमिकाएँ
बिहार भाहरी विकास प्रधिकरण	समुदाय के सामुहिक पुर्नस्थापन के लिए परियोजना द्वारा चिह्नित स्थानों मे उनके पसंदीदा स्थान के चयन में सहायता करना
पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन गतिविधियों में अनुसूचित जाति एवं विपन्न परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करना इन पुर्नवास प्रक्रिया में सहायता करना: क. उनके लिये उचित प्रशिक्षण का चयन ख. आय बहाली के लिये सरकारी योजनाओं का ..... आर एंड आर की गतिविधियों एवं शिकायत निवारण के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करना।

4.2.2 महिलाओं के साथ परामर्श

परियोजना में महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और परियोजना की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी हासिल करने के प्रमुख उद्देश्यों के साथ महिलाओं के साथ परामर्श बैठकका आयोजन किया गया। हर परामर्श बैठक में महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उनके विचार और राय को सुना गया। महिलाओं प्रतिभागियों ने परियोजना से संबंधित कई मुद्दों को उठाया जो तालिका 4.4 में दर्ज किया गया है:

तालिका 4.4 परामर्श सत्र के दौरान महिलाओं द्वारा मुद्दों पर चर्चा

उठाए गए मुद्दे	उठाए गए मुद्दों के उत्तर
स्थानांतरण स्थल में बुनियादी सुविधा	भारत सरकार के कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक सुविधाएं होंगी .
स्थानांतरण के दौरान मित्र मंडली को बनाए रखना	सभी विस्थपित परिवार तीन चिह्नित स्थानों पर पुर्नस्थापित होंगे जो परियोजना स्थल के 2–6 किमी की सीमा के भीतर होगे। अगर संभव हुआ तो सभी घाट पर से विस्थापित परिवारों को एक ही स्थान पर पुर्नस्थापित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर	स्थानीय लोगो को जितना संभव हो निर्माण गतिविधियों में नियोजित किया जाएगा। परियोजना प्रभावित महिलाओं को पात्रता के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा।
संपत्ति की हानि पर पर्याप्त मुआवजा	संपत्ति की हानि पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परिवार को पात्रता के अनुसार पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

5.लघुकरण उपायों (Mitigation Measures)

विकास परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावित समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।यह सभी विकास परियोजना के बुनियादी तत्व है कि कोई भी परियोजना से पहले से बदतर स्थिति मे नही आना चाहिए। आय के पूर्व परियोजना के स्तर की बहाली प्रभावित समुदायों में सामाजिक – आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पुनर्वास कार्य योजना के तहत आय बहाली कार्यक्रमों की तैयारी की जाए जैसे कि अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए होता है। आय बहाली योजनाएं प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से कार्यक्रम को उनकी मंजूरी मिलनी चाहिए ।

परियोजना प्रभावितों के आय बहाली गतिविधियों की बुनियादी जानकारी जनगणना और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण से उपलब्ध हो जाएगा। बेसलाइन सर्वेक्षण से परियोजना प्रभावितों की आर्थिक गतिविधियों की सूचना इन श्रेणियों में उपलब्ध हो जाएगाः

- वर्तमान आर्थिक गतिविधियां
- विभिन्न स्रोतों से परियोजना प्रभावित की कुल आय

5.1 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना की पात्रता सारणी के प्रावधान

परियोजना कें प्रभावों की पहचान के आधार पर पटना में गंगा नदी तट के प्रभावितों के लिए पात्रता सारणी में प्रासंगिक प्रावधान तालिका 5.1 में प्रस्तुत है

तालिका 5.1 पात्रता सारणी

हानि के प्रकार	पात्रता की इकाई	अधिकार	विवरण
भूमि एवं संरचना की हानि (भूस्वामी/परंपरागत अधिकार प्राप्त /भोगाधिकार अधिकारी)			
कृषि भूमि की हानि	भूस्वामि /परिवार	क. प्रतिस्थापन लागत पर नकद क्षतिपूर्ति राशि ख.विपन्न वर्ग को अतिरिक्त सहयोग	• करार मूल्य पर सीधे क्रय अथवा प्रतिस्थापन मूल्य पर मुआवजा। • अगर प्रभावित व्यक्ति विपन्न वर्ग का है उसकी इच्छानुसार प्रतिस्थापन भूमि, अगर उपलब्ध हो तो देय। यदि आवंटित भूमि बंजर या निम्न कोटि की हो तो रु 15000/हेक्टेयर एकमुश्त सहायता राशि भूमि विकास के लिए प्रदान का जाएगी। • अगर शेष भूभाग कृषि योग्य नही है अर्थात प्रभावित व्यक्ति सीमांत किसान हो जाता है तो ऐसी अवस्था में प्रभावित व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं: **अ.** प्रभावित व्यक्ति शेष भूभाग पर काबिज रहेगा और जितनी भूमि अधिगृहित की गई है उतनी भूमि का मुआवजा एवं सहायता देय होगा। **ब.** अगर प्रभावित व्यक्ति चाहे कि शेष भूभाग का भी अधिग्रहण **राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण** कर ले तो **राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण** शेष भूभाग का अधिग्रहण करेगा। मुआवजा एवं सहायता राशि सम्पूर्ण भूभाग के लिए दी जाएगी जिसमें शेष भूभाग की भी राशि सम्मिलित होगी। • पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

घरबारी/ व्यवसायिक भूमि एवं संरचना की सम्पूर्ण हानि	भूस्वामि /परिवार	प्रतिस्थापन लागत पर क्षतिपूर्ति राशि विपन्न वर्ग को अतिरिक्त सहयोग	• करार मूल्य पर सीधे क्रय अथवा प्रतिस्थापन मूल्य पर मुआवजा। • प्रभावित व्यक्ति को संरचना के लिए प्रतिस्थापन मुल्य दिया जाएगा जो बेसिक शेड्यूल रेट के अनुसार बिना ह्रास मूल्य के देय होगा। • रू. 10000/– स्थानान्तरण भत्ता के रूप में। • प्रभावित व्यक्ति को ढाए गए निर्मित स्थल से मलबे के ढेर को बिना मूल्य के ले जाने का अधिकार होगा। • किराया भत्ता जो प्रचलित दर के अनुसार, जो अधिकतम तीन/छः महीने के किराये के लिए देय होगी। • पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। • विपन्न वर्गीय परिवार जो आवासीय एवं व्यवसायिक संरचना प्रभावित होने के कारण बेघर हो गया हो उसे किसी भी गृह योजना के तहत गृह आवंटन मे प्राथमिकता।
घरबारी/ व्यवसायिक भूमि एवं संरचना की आंशिक हानि	क. भूस्वामि ख. परंपरागत अधिकार प्राप्त प्रभावित व्यक्ति	प्रतिस्थापन लागत पर क्षतिपूर्ति राशि	• विक्रय मूल्य पर प्रत्यक्ष क्रय या भूमि पर प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद क्षतिपूर्ति राशि • प्रभावित व्यक्ति को संरचना के प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रतिस्थापन मुल्य दिया जाएगा जो बेसिक शेड्यूल रेट के अनुसार बिना ह्रास मूल्य के देय होगा। • प्रभावित व्यक्ति को ढाए गए निर्मित स्थल से मलबे के ढेर को बिना मूल्य के ले जाने का अधिकार होगा।

अ–भूस्वामी के संरचना की हानि			
संरचना की हानि उपवेशीएवं अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्मित अचल सम्पत्ति)	परिवार	प्रतिस्थापन लागत पर क्षतिपूर्ति राशि विपन्न वर्ग को अतिरिक्त सहयोग	• उपवेशियो एवं अतिक्रमणकारियों को सूचित किया जाएगा और अपनी सम्पत्ति हटाने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। • उपवेशी एवं अतिक्रमणकारी निम्न के अधिकारी होगेः **अ** .भूमि के लिए कोई क्षतिपूर्ति नही **ब.** प्रभावित व्यक्ति को संरचना के प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रतिस्थापन मुल्य दिया जाएगा जो बेसिक शेड्यूल रेट के अनुसार बिना ह्रास मूल्य के देय होगा। **स.** रु 10000/स्थानान्तरण भत्ता **द.** ढाए गए निर्मित स्थल से मलबे के ढेर का अधिकार बिना किसी मूल्य के।
जीविकोपार्जन की हानि			
आय /जीविकोपार्जन की हानि	भूस्वामि के व्यवसायिक आय की हानि	पुर्नवास सहयोग	• भूस्वामी जिनके व्यवसाय की हानि विस्थापन के कारण हुई है उन्हे 200 दिन की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार रकम /3 महीने के आय के बराबर राशि दी जाएगी।
	भूस्वामि के कृषि जनित आय की हानि	पुर्नवास सहयोग	• भूस्वामी जिनके व्यवसाय की हानि विस्थापन के कारण हुई है उन्हे 200 दिन की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार रकमदी जाएगी। • प्रभावित भूस्वामि को उसके पसन्द अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन विकल्प के लिए प्रशिक्षण सहयोग प्रदान किया जाएगा। • परियोजना में रोजगार का अवसर, अगर वह चाहे और कार्य उपलब्ध हो।

	उपवेशी (अ–भूस्वामि)/कृषक मजदूर/ बंटाईदार जिनके आय के प्राथमिक स्रोत की हानि	पुर्नवास सहयोग	• सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार 180 दिन की रकमदी जाएगी। • कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • परियोजना में रोजगार का अवसर, अगर वह चाहे और कार्य उपलब्ध हो। • राश्ट्रीय/राज्य स्तर पर मनरेगा जॉब कार्ड।
	लाइसेन्स धारी चल विक्रेता (मोबाइल वेन्डर)एवं गुमटी संचालक (किओस्क)	पुर्नवास सहयोग	• मोबाइल वेन्डर जिन्हे प्रभावित क्षेत्र में परिचालन के लिए स्थानीय अथारिटी का परमिट प्राप्त है वे कियोस्क ऑपरेटर की श्रेणी मे ही माने जाएगे। • कियोस्क ऑपरेटर एवं मोबाइल वेन्डर जिन्हे प्रभावित क्षेत्र में परिचालन के लिए परमिट प्राप्त है वे एकमुश्त रु. 4000.00 सहयोग के पात्र होंगे।
फसल एवं वृक्ष की हानि			
वृक्ष की हानि	क. भूस्वामि ख. बटाईदार ग. पट्टेदार	बाजार मूल्यानुसार क्षतिपूर्तिहॉर्टिकल्चर विभाग के सहयोग से र्निधारित	• प्रभावित व्यक्ति को फलों को तोड़ने एवं वृक्ष को हटा लेने के लिए अग्रिम सूचना दे दी जाए। • फलदार वृक्ष की क्षतिपूर्ति राशि 15 वर्ष के औसत पैदावार के अनुसार हॉर्टिकल्चर विभाग के सहयोग से र्निधारित की जाएगी। • इमारती लकड़ी की हानि पर वृक्ष के प्रकार के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्यानुसार
फसल की हानि	क. भूस्वामि ख. बटाईदार ग. पट्टेदार	बाजार मूल्यानुसार क्षतिपूर्ति कृषि विभाग के सहयोग से र्निधारित	• प्रभावित व्यक्ति को फसल काटने के लिए अग्रिम सूचना दे दी जाए। • खड़ी फसल की स्थिति में कृषि फसल के प्रचलित बाजार मूल्यानुसार औसत पैदावार के आधार पर नकद क्षतिपूर्ति देय होगी।

अन्य प्रभाव			
विपन्न वर्ग को अतिरिक्त सहयोग	विपन्न वर्ग में सम्मिलित है : गरीबी रेखा से नीचे, महिला मुखिया परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असर्मथ एवं विकलांग	विशेष सहयोग	• एकमुश्त सहयोग राशि 10000/– रू0 विपन्न परिवार के लिए (ये राशि अन्य सहयोग राशि के अतिरिक्त होगी) ।
मुहल्ले पर परोक्ष प्रतिकूल प्रभाव, जमीन का अवमूल्यन अपशिश्ट भराव क्षेत्र / ताप एवं दबाव स्तर के कारण	भूस्वामी / समाज	विशेष सहयोग	• उपपरियोजना के पूंजीगत लागत का 1 प्रतिशत राशि का आवंटन मुहल्ला विकास निधि में किया जाएगा। • समीपवर्ती निजी भूस्वामी जो परियोजना स्थल के सन्निकट हों उनको रु 15000/ हेक्टेयर स्वामित्व रिकार्ड के आधार पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। • अपशिष्ट भराव क्षेत्र के चारों ओर हरित पटटा
समुदायिक संरचना /संसाधन की हानि	समाज	विशेष सहयोग	• सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन एवं समुदायिक संरचना को समाज की सम्मति से पुर्नस्थापित किया जाएगा।
निजी / सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन पहुंच मार्ग कर हानि	समाज/परिवार	विशेष सहयोग	• विकल्प मार्ग का प्रबन्ध।
निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव जैसेः– आम यातायात में बाधा, जुडे पार्सल भूमि का नुकसान/सम्पत्ति को हानि भारी मशीन की निर्माण स्थल पर आवाजाही के कारण	समाज/व्यक्ति	मुआवजा	• निर्माण कार्य के समय भारी मशीन की निर्माण स्थल पर आवाजाही के कारण भूमि और संरचना पर किसी भी प्रकार की हानि होने पर ठीकेदार उसका खर्च वहन करेगा। • ठीकेदार भूस्वामियों के भूमि का अस्थायी उपयोग लिखित आपसी सहमति से करेगा • निर्माण स्थल के पास छावनी का निर्माण ठीकेदार विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क करके तय करेगा। • परियोजना प्राधिकरण छावनी के पास के घरों की सुरक्षा एवं पहुंच मार्ग सुनिश्चित करेगा। छावनी निवास स्थान से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होगा।
कोई अन्य आकस्मिक प्रभाव	कोई भी बिना पूर्वामुमान के होनेवाले प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत कर इस पात्रता सारणी के सम्मत नियमानुसार प्रभाव कम किया जा सकेगा।		

5.2 पुनर्वास के लिए मूल प्रावधान

पात्रता सारणी के अनुसार BUIDCO संरचना की क्षति पर पर्याप्त और उपयुक्त प्रतिस्थापन और पूरी प्रतिस्थापन लागत पर नकद मुआवजा, संप्रभावित संरचनाओं के लिए पर्याप्त मुआवजा एवं पात्रता सारणी के अनुसार पुर्नवास सहायता प्रदान करेगा। अभूस्वामी, जिन्होने परियोजना क्षेत्र में भूमि या संरचनाओं पर निर्दिश्ट तारीखजो परियोजना जनगणना सर्वेक्षण की तिथि 25.08.13 की है तक कब्जा किया है, वे ही सहायता के हकदार होंगे।

परियोजना क्रियान्वयन संस्था द्वारा शारीरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, जिन्हे पुर्नवास के लिए चुना जाएगा वह निम्नलिखित के पात्र होंगे :

(i) पुनर्वास स्थलों पर बेहतर आवास जो रोजगार और उत्पादन के अवसरों के तुलनीय वृद्धि के साथ

(ii) पुर्नस्थापित आवास का संरक्षित अधिकार

(iii) स्थानांतरण सहायता

(iv) आवश्यकतानुसार नागरिक मूलभूत आवश्यक तत्व और सामुदायिक सेवा

शारीरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों जो स्वयं पुर्नवास का विकल्प चुनेंगे वह निम्नलिखित के लिए पात्र हो जाएगेः

(i) पूरी प्रतिस्थापन लागत पर नकद मुआवजा जो जेएनएनयूआरएम के तहत राजीव आवास योजना (आवास योजना) द्वारा निर्धारित राशि से कम होना चाहिए;

(ii) परिवर्ती सहायता और विकास सहायता

(iii) स्थानांतरण सहायता

(iv) परियोजना सम्पर्क से अन्य विकास योजनाओं के उचित विकास लाभ प्राप्त करने के अवसर।

5.3 उपपरियोजनाद्वारा विस्थापन और पुनर्वास

उपपरियोजना के तहत प्रभावित सभी 229 परिवार की आवासीय हानि हो रही है और शारीरिक रूप से विस्थापित किया जा रहा है।यह सभी अभूस्वामी है और सरकारी जमीन पर बसे है। और प्रस्तावित उपपरियोजना के निर्माण के लिए उनका पुर्नस्थापन आवश्यक है:

5.3.1 परियोजना प्रभावितो द्वारा पुनर्वास विकल्प

पुर्नवास विकल्पों को समझने और जानने के लिए प्रभावितों के जनगणना सर्वेक्षण के दौरान परामर्श किया गया। 229 परिवार जिसमे सभी की आवासीय हानि हो रही थी में से, 25 परिवारों ने स्वपुर्नवास एवं 204 परिवारों ने BUIDCo. द्वारा पुर्नवास के विकल्प को चुना जिसका विवरण तालिका 5.2 में दिया जाता है

तालिका 5.2 परियोजना प्रभावितो द्वारा पुर्नवास विकल्प

क्र. सं.	पुर्नवास विकल्प	परिवार की संख्या
1	स्व पुर्नवास	25
2	परियोजना पुर्नवास	204
		229

5.3.2 परियोजना प्रभावितो के लिए परियोजना आधारित पुनर्वास नीति

परियोजना क्रियान्वयन संस्था यानी BUDICO **परियोजना प्रभावित परिवार के** पुर्नवास के लिए अपने चल रहे आवासीय योजना के तहत बेहतर आवास प्रदान करेगा। BUIDCo वर्तमान में शहरी गरीब के लिए आधारभूत सेवाओं (BSUP) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत पटना में तीन स्थानों पर 6000 आवासीय इकाइयों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए चिह्नित स्थान निम्नानुसार हैं:

1 . उदरामपूर (उप परियोजना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर)

2 . शास्त्री नगर (उप परियोजना स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर)

3 . मेंहदीगंज (उप परियोजना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर)

5.3.3 स्व पुनर्वास चुनने वाले परियोजना प्रभावितो के लिए पुनर्वास नीति

परियोजना प्रभावित परिवार जिनकी संरचना की हानि हो रही है, उनके अधिकार को पाने एव **स्व पुनर्वासित होने में** मदद करने के लिए उपपरियोजना द्वारा निम्न पुर्नवास नीति को अपनाया जाएगाः

क) विस्थापित परिवारों को पुर्नवास स्थल उनके स्थानांतरण से पहले अनुमोदन के लिए दिखाया जाएगा .

ख) सभी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा और अन्य पुनर्वास अधिकार भौतिक विस्थापन से पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

ग) ढांचे के विध्वंस से पहले में कम से कम एक महीने पहले नोटिस।

घ) परियोजना प्रभावित व्यक्ति का उनके ध्वस्त संरचनाओं की सामग्री पर अधिकार होगा।

ङ) विस्थापित परिवारों का समूह में पुर्नवास किया जाएगा। जहां तक संभव हो समान समूह बनाए रखा जाएगा।

च) पुर्नवास कार्य योजना कार्यान्वयन के लिए लगे हुए गैर सरकारी संगठन संपत्ति के सत्यापन के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्ति की सहायता करेंगे और मुआवजा और सहायता के भुगतान पर आवश्यक परामर्श प्रदान करेगे।

छ) गैर सरकारी संगठन,निर्विध्न पारगमन (परियोजना प्रभावित व्यक्ति के आंशिक एवं पूर्ण पुर्नवास के दौरान) सुनिश्चित करने में परियोजना अधिकारियों की मदद करेगे एवं परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को ध्वस्त संरचनाओं की सामग्री को लेने और स्थानान्तरण में सहायता करेंगे।

ज) गैर सरकारी संगठन,परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ गहन परामर्श द्वारा विस्थापित परिवारों के लिखित सहमति से स्थानांतरण तिथियां तय करेगे एवं उनकी पात्रता के अनुसार वांछित व्यवस्था करेगा।

झ) गैर सरकारी संगठन,परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा वांछित वैकल्पिक भूमि गांव के भीतर खोजने में उनकी सहायता करेंगे।

ञ) प्रभावित घाट पर कोई सिविल कार्य तब तक शुरू नही किया जाएगा जब तक सभी विस्थापित परिवारों को दूसरी जगह पुर्नस्थापित न कर लिया जाये।

.

5.3.4 पुनर्वास कार्यक्रम

इस उपपरियोजना में निम्नलिखित पुर्नवास समय सारणी को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के स्थानांतरित करने में लागू किया जाएगाः

तालिका 5.3 पुर्नवास समय सारणी

क्र. सं.	पुर्नवास कार्य	समय तालिका
1	पुर्नवास कॉलनी के निर्माण का आरम्भ	दिसम्बर 2013
2	परियोजना प्रभावित को नोटिस एवं उनके अंतिम विकल्प के लिए परामर्श	अक्तूबर 2014
3	पुर्नवास कॉलनी के निर्माण का समापन	दिसम्बर 2014
4	परियोजना प्रभावित परिवारों का स्थानान्तरण	जनवरी 2015

5.4 पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति के अनुसार आय बहाली के उपाय

परियोजना की **पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति के अनुसार** परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए क्षमता निर्माण के प्रयास किए जाने होंगे, जिसका उद्देश्य विभिन्न आय सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कौशल उन्नयन होगा। **पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति** में नकद मुआवजा और स्वरोजगार के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से आय के नुकसान को कम करने का प्रावधान है।

6 परियोजना में महिलाओं की भागीदारी

विकास के अनुभव से यह पता चलता है कि यह समान रूप से आवश्यक है कि महिलाओं से परामर्श लिया जाए और उन्हे स्वयं के विकास के लिए तय करने के लिए उन्हें सक्षम करने में उन्हें विकल्प की पेशकश करने के लिए समान रूप से आवश्यक है कि पता चलता है. महिलाओं की भागीदारी से निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से परिकल्पित किया गया है:

तालिका 6.1 परियोजना में महिलाओ की भागीदारी

मुख्य संकेतक	परियोजना द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम
प्रत्येक बैठक में विभिन्न सामाजिक – आर्थिक समूहों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं उपस्थिति।	जितनी बैठकें हुई उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा। बैठक का आयोजन उनके सुविघानुसार समय पर किया गया जिससे उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
बैठक के स्थान का चयन महिलाओं के विमर्श पर आघारित हो जिससे वह स्वतंत्र रूप से और बेहिचक विचार विमर्श कर सकें।	ज्यादातर बैठक के स्थान काचयनमहिलाओं से विमर्श कर हुआ। मीटिंग प्रभावित घाट पर सम्पन्न हुआ।
महिला प्रशिक्षक या औपचारिक एवं अनौपचारिक महिला समूह या नेटवर्क द्वारा कार्य।	महिला सर्वेक्षको द्वाराही सर्वेक्षण और सामूहिक चर्चा की गई।
सामाजिक दस्तावेजों के बनाने एवं समीक्षा में महिलाओं की भागीदारी।	पुर्नवास योजना का खुलासाएक मिश्रित समूह में और साथ ही पुरुषों और महिलाओं के सदस्यों के लिए अलग से भी हुआ। महिला विशिश्ट गतिविधियाँ महिलाओं के परामर्श से ही सम्पन्न हुई।
महिलाओं की परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी में भागीदारी सुनिश्चित हो।	जहाँ परनिणर्य लेने में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की है वहाँ उन्हे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी में भाग लें। निगरानी एवं मूल्यांकन में महिलाओं की भागीदारी की गुंजाइश है। महिलाओं के उनके नजरिये से परियोजना परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए बेहतर और सौहार्दपूर्ण स्थिति पैदा कर उनके उपयोगी सुझावों का परियोजना में आगे संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में ध्यान दिया जाना चाहिए।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं को भाामिल करना।	प्रत्येक घर के लिए लिंग विशमता आंकड़ा निम्नलिखित बिन्दुओं सहित एकत्र किया गयाः • संसाधनों के स्वामित्व और उपयोग • वित्त और संसाधन उपयोग के संबंध में निर्णय लेना • महिलाओं द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक आय अर्जन गतिविधियां • महिलाओं के दैनिक कार्यो, मवेशियों, गृह उद्यान आदि के लिए नदी पर निर्भरता • महिला कौशल .
लैंगिक मुद्दो को कम करने के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम	समाजिक प्रभाव आंकलन सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं के वर्तमान कौशल एवं व्यवसाय का आंकलन किया गया। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से शुरू किया जाएगा। महिला सदस्यो के स्वयं सहायता समूह के गठन के विशेश उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का एक्सपोजर विजिट के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान गैर सरकारी संगठन मौजूदा आय को बढ़ाने के लिए अवसर की खोज करेगा।

6.1 परियोजना काल में लिग संबंधी समस्या का पता लगाना

इस योजना का उद्देश्य विभिन्न लिंग संबंघित मसलों का, गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से पता लगाना है। विकास योजना बनाने के लिए एक समयबद्ध पहल एवं प्रत्येक कार्यकलाप के कार्यान्वयन के लिए एक समय–सीमा भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 6.2 परियोजना काल में लिग संबंधी समस्या

क्र. सं.	समस्या	कार्यकलाप	कार्यान्वयन	संकेतक	की गई कार्रवाई/सत्यापन माध्यम	समयावधि
परियोजना योजना चरण						
1.	परियोजना क्षेत्र में महिलाओं को परियोजना के बारे में सूचित करना	जानकारी देने के अभियान में परियोजना के बारे में सभी स्तरों पर (सार्वजनिक परामर्श लिखित सामग्री और समाचार पत्र) महिलाओं तक जानकारी पहुचाई गई	परियोजना एवं परामर्श दाता	इस परियोजना के प्रमुख तत्व से परिचित महिला	**पुर्नवास योजना के अनुसार महिलाओं से विचार–विमर्श**	**जनगणना सर्वेक्षण के दौरान**
2	सभी स्तरों पर परियोजना नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी	लैंगिक विशेषज्ञ BUIDCo में कार्यरत। परियोजना में प्रभावित महिलाओं से नियमित आधार पर सभा होती है।	परियोजना कार्यालय	आयोजित महिला परामर्श सभा की संख्या योजना प्रारूप में महिलाओं की टिप्पणियां और सुझाव दिखाई देते हैं या वे सुझाव शामिल नहीं नही के कारणों को समझती हैं	**सामुदायिक बैठक के रिकार्ड से जो पुर्नवास कार्य योजना में संलग्न है**	**पूरा परियोजना निर्माण काल**
3	प्रमुख हितधारकों का परियोजना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं से पूरी तरह अवगत रहना	प्रमुख हितधारकों का लिंग जागरूकता/ कार्यशालाएं आयोजित गैर–सरकारी संगठनों में योग्य महिलाए कार्यरत	परियोजना एवं परामर्शदाता	लैंगिक कार्य योजना तैयार टौर के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों में महिला कर्मचारी		

परियोजना कार्यान्वयन चरण						
1	महिला प्रबंधन और कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लेने और मुद्दों को सुलझाने में बराबर की भागीदार	सूचना डेस्क, परियोजना कार्यालय में जानकारी के साथ, ठेकेदार, पर्यवेक्षण के जिम्मेदार व्यक्ति, परियोजना के उत्तरदायी व्यक्ति, कार्य शेड्यूल, जहां मुद्दों को उठाया जाए	परियोजना, गैरसरकारी संगठनों, निगरानी एवं मूल्यांकन परामर्शदाता, पर्यवेक्षण परामर्शदाता	गैर–सरकारी संगठनों , निगरानी एवं मूल्यांकन टीम एवं पर्यवेक्षण टीम की महिला कर्मचारी परामर्श बैठक में उपस्थित महिलाओं की संख्या	गैर–सरकारी संगठनों के प्रगति प्रतिवेदन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन स्थानीय समुदायो द्वारा प्रतिपुश्टि (फीडबैक)	**पुनर्वास की शुरुआत से आरम्भ एवं कार्यान्वयन चरण तक जारी है**
2	सामाजिक आर्थिक प्रभावों का आकलन	परिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर सरल निगरानी प्रारूप का विकास परियोजना के प्रभावों पर लिंग विशमता की जानकारी इकट्ठा करना	परियोजना एवं गैरसरकारी संगठन	रोजगार के अवसर दिए गए महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या जिन्होने विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों का गठन किया आय सृजन गतिविधियों में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	निगरानी एवं मूल्यांकन कन्सलटेन्टद्वाराप्रभाव आकलन प्रतिवेदन, गैर–सरकारी संगठनों के प्रगति प्रतिवेदन	आधारभूत सर्वेक्षण कार्यान्वयन से पूर्व सहमत अंतरालों पर आंकलन

परियोजना समापन के बाद						
1	सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आंकलन	परियोजना के प्रभावों पर लिंग विशमता की जानकारी इकट्ठा करना	परियोजना एवं गैरसरकारी संगठन	सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की संख्या आर्थिक उत्पादक गतिविधियों में लिप्त महिलाओं की संख्या महिला प्रधान परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि	निगरानी एवं मूल्यांकन कन्सलटेन्टद्वाराप्रभाव आकलन प्रतिवेदन, गैर–सरकारी संगठनों के प्रत्याहार प्रतिवेदन	**परियोजना के पूरा होने के बाद अंतिम प्रभाव आकलन**
				महिला प्रधान परिवार की घरेलू संपत्तिमें वृद्धि		

7.संस्थागत व्यवस्था

तालिका 7.1 संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

स्तर	भूमिका एवं जिम्मेदारियां
NMCG **समाजिक विशेशज्ञ**	• राज्य स्तर समकक्षों को मार्गदर्शन नीति प्रदान करना; • पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना और स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी ; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रशासन के साथ सम्पर्क; • राज्य स्तर की बैठकों में भाग लेना; • अनुबन्धित गैर सरकारी संगठनों के परियायोजना कार्यान्वयन और बाह्य एजेंसी के निगरानी और मूल्यांकन लिए टौर को अंतिम रूप देना;

	• क्षमता निर्माण के लिए राज्य और परियोजना स्तरीय सामाजिक विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी आवश्यक अध्ययन और गुणात्मक आयामों के लिए टौर तैयार करना; • किसी भी आवश्यक अध्ययन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति और उन्हे समन्वित करना; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन पर भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना।
SPMG सामाजिक विकास अधिकारी	• जिला प्रशासन और पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठन के साथ तालमेल; • पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति का स्थानीय भाषा में अनुवाद, और इसका राज्य, जिला और समुदाय स्तर पर प्रसार सुनिश्चित करना। सूचना के प्रसार के लिए नीति पर पुस्तिका तैयार करना; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वयय; • आय बहाली योजनाओं के लिए सरकारी योजनाओं से परस्परानुबंध के लिए जिला प्रशासन के साथ सम्पर्क; • पुर्नवास कार्य योजना के क्रियान्वयन की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी • परियोजना स्तर की बैठकों में भाग लेना; • प्रगति रिपोर्ट , मध्य सुधार के लिए हल नही हुए सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना; • शामिल एजेंसियों के साथ परियोजना स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण समन्वय; • पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास और लिंग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ मासिक बैठक का आयोजन
बिडको (BUIDCO)	• पुर्नवास कार्य योजना एवं पात्रता का खुलासा एवंपरियोजना प्रभावित व्यक्तियों को इनकी प्रतियां उपलब्ध कराना; • विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए स्थानीय अधिकारी के साथ समन्वय; • पुर्नवास कार्य योजना में परिकल्पित परियोजना के विभिन्न चरणों कीजानकारी का प्रसार;

	• उप परियोजना के हर चरण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना • प्रलेखन और परामर्श के प्रकटीकरण • प्रथम स्तर का शिकायत निवारण, एवं आगे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मार्गदर्शन; • कार्यक्रम के अनुसार मुआवजा/ हकों का भुगतान सुनिश्चित करना; • निर्माण के दौरान अतिरिक्त अप्रत्याशित प्रभावों का पतालगाने के लिए जिम्मेदाार; • डीपीआर में सामाजिक मुद्दों का समावेश सुनिश्चित करना ; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन एवं इसकी प्रगति कार्यों की निगरानी; • मूल्यांकन एवं निगरानी सूचक आंकड़े एकत्रित करना; • मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं तिमाही प्रक्रिया प्रलेखन रिपोर्ट तैयार करना
पर्यवेक्षण कंसल्टेंट्स के सामाजिक विशेषज्ञ	• निवेश का सामाजिक स्क्रीनिंग सुनिश्चि करना; • सहमति प्राप्त सामाजिक राहत उपायों को लागू करना; • समाज से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना; • संवेदनशील और पुर्नवास कार्य योजना प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में बिडकोअधिकारियों की क्षमता गठन में मदद; • मासिक प्रगति और तिमाही प्रक्रिया प्रलेखन रिपोर्ट तैयार करने में बिडको के सामाजिक अधिकारी की सहायता।
गैर सरकारी संगठनों	• प्रभावित परिवारों के सत्यापन का संचालन और जनगणना और सामाजिक – आर्थिक आँकड़ोका नवीनीकरण; • परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ और परियोजना प्रभावित व्यक्ति और बिडको के बीच संबंध विकसित करना; • पुर्नवास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना अभियान का प्रारूप तैयार करना एवं अभियान चलाना एवं य समुदाय के साथ विचार विमर्श • परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और स्थानीय समुदाय को पुर्नवास नीति कीजानकारी प्रदान कर जागरूक करना एवं प्रभावित परिवारों को नीति वितरित करना; • विस्थापित परिवारों के स्थानांतरण, मकानों के आवंटन के लिए

	योजना बनाने में बिडको की सहायता, और पूरे स्थानांतरण प्रक्रिया में संयोजन; • प्रभावित परिवारों के लिए सूक्ष्म योजना तैयार और प्रस्तुत करना; • परियोजना प्रभावितों को मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्राप्त करने में सहायता करना; • परियोजना प्रभावितों को मुआवजा और सहायता राशि के उत्पादक उपयोग के लिए प्रेरित एवं मार्गदशित करना; • आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कौशल और दक्षता के स्तर का आकलन, प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन; • शिकायत निवारण तंत्र के करीब पहुंचने में सहायता • उपयुक्त स्थानीय विकास योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सहायता • मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना; • क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना; • समय – समय पर आवश्यकतानुसार अन्य जिम्मेदारियाँ निभाना।

8. समस्या निवारण प्रकोष्ट

पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास कार्यान्वयन और शिकायत**निवारण के लिए निगरानी संकेतक**

क्र. सं.	निगरानी संकेतक	पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास प्रक्रिया	शिकायत**निवारण संकेतक**
1	भौतिक प्रगति	निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त परियोजना प्रभावित परिवार की संख्या ; प्रभावित परिवार की संख्या जिन्हे पुर्नवास सहायता दी गई; पुर्नवास स्थल पर स्थानांतरित प्रभावित परिवार की संख्या; आजीविका सहायता /प्रशिक्षण प्राप्त प्रभावित आदिवासी परिवार की संख्या; आजीविका सहायता / प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की संख्या	समस्या निवारण प्रकोष्ट में पंजीकृत शिकायतों की संख्या परियोजना स्तर की शिकायत बैठकों की संख्या समस्या निवारण प्रकोष्ट

	आय बहाली	प्रभावित सदस्यों द्वारा क्षतिपूर्ति का पुर्ननिवेश; पुर्नवास के बाद कमाऊ सदस्य की संख्या परियोजना द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के नये अवसर प्राप्त करने वाले सदस्य की संख्या; पुर्नवास के बाद मासिक आय;. महिलाओं की आय सृजन गतिविधियों के लिए गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या के नए आय अवसर के साथ अनुसूचित जाति के प्रभावितों की संख्या।	बैठकों का स्थान दिए गये फैसले, समयबद्धता, निष्पक्षता, आदि के संदर्भ में समस्यानिवारण प्रकोष्ट के प्रस्तावों पर संतोष व्यक्त करने वाले प्रभावित सदस्यो की संख्या. पीएपी दिए फैसले SPMG एवं NMCG को परिवर्धित मामलों की संख्या अदालत में पंजीकृत मामलों की संख्या
	वित्तीय प्रगति	पंजीकरण शुल्क और करों की सहायता सहित संपत्ति के लिए मुआवजा भुगतान; निजी मालिक से अन्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान किया मुआवजा; गैर निर्धारित प्रभावों पर व्यय	
	लिंग विकास योजना का कार्यान्वयन	स्वसहायता समूह विकसित महिलाओं की संख्या; महिला परियोजना प्रभावितों की संख्या और प्राप्त मुआवजा और सहायता; महिला परियोजना प्रभावितों की संख्या जिन्हे रोजगार प्रशिक्षण मिला; महिला परियोजना प्रभावितों की संख्या जिन्हे परियोजना की गतिविधियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया; स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त महिला परियोजना प्रभावितों की संख्या महिलाओं पीएपी की संख्या एनजीओ /बिडको से विचार विमर्श में भाग लिया	